उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-2
संख्या-यू0ओ0- 02 /2020 /10/तीस-2-2020
लखनऊ दिनांक 27-02-2020

शुद्धि-पत्र

उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम के कार्मिकों को अनुमन्य ए0सी0पी0 की सुविधा में सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 16-03-2015 की व्यवस्था के फलस्वरूप आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के निराकरण हेतु शासनादेश संख्या- 01/2020/112/तीस-2-2020 दिनांक 29-01-2020 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-5 में दी गयी व्यवस्था से भ्रामक स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को समाप्त किये जाने के दृष्टिगत प्रस्तर-5 में संशोधन करते हुए निम्नवत स्थापित किया जाता है:-

''5- उक्त सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इस पर आने वाला समस्त व्यय-भार परिवहन निगम अपने संसाधनों से वहन करेगा एवं इस हेतु राज्य सरकार से किसी प्रकार की सहायता/अनुदान देय नहीं होगा ।''

२. शासनादेश दिनांक 29-01-2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष व्यवस्था यथावत रहेगी।

ह0

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम को उनके पत्र संख्या-622सीईएनटी/20-592निगम/2008 वैल्यू-3 दिनांक 05-02-2020 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह0
रेनू वर्मा
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in/